

 सत्यमेव जयते	भारत सरकार / Government of India वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry, विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner, सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone, अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai - 400 096 टेलि. / Tel. : 022-28294796 ईमेल / E-mail: kiran.vanker@gov.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in	 INDIA @ 75 1947-2022

सं.सीपज़-सेज/श्रम/505/2015-16/पार्ट-II

दिनांक : 17/08/2022

परिपत्र सं.श्रम/68/2022-23

विकास आयुक्त, सेज को मजदूरी अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्ययोपजीत शक्तियों के अनुसार सेजों में स्थित यूनिटों के संबंध में उन पर लागू किए जाने तथा उनका उल्लघन होने पर आवश्यक कारवाई करने का अधिकार इस कार्यालय को है। विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 10.08.2022 के कार्यालय आदेश संख्या 239/309 द्वारा उप विकास को शक्तिया प्रत्ययोपजीत की गई है। आज तारीख में सीपज़ (इलेक्ट्रॉनिक) तथा जेम तथा ज्वेलरी सेक्टरों में कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल कामगारों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार है। (दिनांक 01/07/2022 से दिनांक 31/12/2022 तक की अवधि का संशोधित विशेष भत्ता)।

1. जेम तथा ज्वेलरी यूनिट्स(अवशिष्ट उद्योग):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	Rs. 12605	Rs. 11445	Rs. 10350
विशेष भत्ता	Rs. 1650	Rs. 1650	Rs. 1650
कुल	Rs. 14255	Rs. 13095	Rs. 12000
मकान किराया भत्ता (5%)	Rs. 712.75	Rs. 654.75	Rs. 600
न्यूनतम मजदूरी	Rs. 14967.75	Rs. 13749.75	Rs. 12600

2. दुकाने तथा प्रतिष्ठान :-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	Rs. 11632	Rs. 10856	Rs. 10021
विशेष भत्ता	Rs. 2106	Rs. 2106	Rs. 2106
कुल	Rs. 13738	Rs. 12962	Rs. 12127
मकान किराया भत्ता (5%)	Rs. 687	Rs. 648	Rs. 606.35
न्यूनतम मजदूरी	Rs. 14425	Rs. 13610	Rs. 12733.35

3. सीपज़ (ईलेक्ट्रॉनिक्स) :-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	Rs. 6300	Rs. 5800	Rs. 5300
विशेष भत्ता	Rs. 5581	Rs. 5581	Rs. 5581
कुल	Rs. 11881	Rs. 11381	Rs. 10881
मकान किराया भत्ता (5%)	Rs. 594.05	Rs. 569.05	Rs. 544.05
न्यूनतम मजदूरी	Rs. 12475.05	Rs. 11950.05	Rs. 11425.05

श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष-1 जनवरी तथा 1 जुलाई से विशेष भत्ता सशोधित किया जाता है।

यूनिटों को निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई कर्मचारी किसी भी समय न्यूनतम मजदूरी से वंचित न रहे। झोन प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता रहे, निर्दिष्ट अवधि के भुगतान रजिस्ट्रों की फोटो काफिया मंगवाकर रिकाइज़ों तथा रजिस्ट्रों की जांच नियमित रूप से करता रहेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

Signed by Kiran K. Vanker

Date: 16-08-2022 18:01:58

Reason: Approved (किरण के. वनकर)

सहायक विकास आयुक्त

सीपज़-सेज़